



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244751
CG-DL-E-29032023-244751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1398]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1398]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1451(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5559(इ) दिनांक 30th नवंबर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले के एनएच-930P हैदराबाद ओआरआर, वालिगोंडा-थोरूर सेक्शन(जंक्शन NH-30) ऑफ़ NH-930P के कि.मी. 82.375 से कि.मी. 94.650 तथा कि.मी. 95.64 से कि.मी. 99.900 (आरडीओ-सूर्यपेट) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 जनवरी 2023" को "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) और "द हिन्दू"(अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले के एनएच-930P हैदराबाद ओआरआर, वालिगोंडा-थोरूर सेक्शन(जंक्शन NH-30) ऑफ़ NH-930P के कि.मी. 82.375 से कि.मी. 94.650 तथा कि.मी. 95.64 से कि.मी. 99.900 (आरडीओ-सूर्यपेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: सूर्यपेट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तिरुमालागिरि				
	गांव का नाम: अनंतराम				
1	79	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.000219	वज्जा लिंगैया सॉन ऑफ मल्लैया(पी एंड इ)
2	79	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0021544	वज्जा परमेश सॉन ऑफ मल्लैया(पी एंड इ)
	गांव का नाम: मामिडियाला				
3	472	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.0188793	मुथिनेनी मल्लैया सॉन ऑफ नरैया (पी) मुथिनेनी सोमेश्वर राव सॉन ऑफ मल्लैया (ई) ()
			कुल	0.0212527	

[फा. सं. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1451(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O N.O 5559(E) dated 30th November 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of **Widening to 2/4 lane with Paved Shoulders of Junction at Hyderabad ORR, Valigonda-Thorrur Section (Junction at NH30) of NH-930P from Km 82.375 to Km. 94.650 and Km. 95.640 to Km. 99.900 (RDO-Suryapet), in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Namasthe Telangana*" (*Telugu*) and "*The Hindu*" (*English*) both dated 22 January 2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-930P in the stretch of land from Km 82.375 to Km 94.650 and Km 95.640 to Km 99.900 (RDO Suryapet), Junction at Hyderabad ORR, Valigonda-Thorrur Section (Junction at NH30) in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: SURYAPET		
Sr. NL.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Tirumalagiri					
Village: Anantharam					
1	79	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	0.000219	Vajja Lingaiah son of Mallaiah(P&E)
2	79	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	0.0021544	Vajja Paramesh son of Mallaiah(P&E)
Village: Mamidiyala					
3	472	Private(patta)	Wet(Agriculture land)	0.0188793	Muthineni Mallaiah son of Naraiah (P) Muthineni Someshwar Rao son of Mallaiah (E)
			TOTAL	0.0212527	

[F. No. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.